संशोधित ज्ञापन पत्र

1. संस्था का नाम - कृषि आदान विक्रेता संघ भोपाल
2. संस्था का कार्यालय - 4, लीलाधर कालोनी, भानपुर चौराहा, विदिशा रोड तह.-हुजूर, जिला-भोपाल 462037

Emall Id - kavs.mp@gmall.com, Mob. No. - 9425300227

3. **संस्था के उद्देश्य निम्नलिखित होगे-**

1. संस्था द्वारा रासायनिक खाद, बीज, कृषि औषधी विक्रेता व्यापारियों के सामान्य हित से सम्बन्धित सभी विषयों पर व्यापारी वर्ग के बीच मित्रता की भावना और एकता को प्रोत्साहित करना।
2. संस्था द्वारा रासायनिक खाद, बीज, कृषि औषधी विक्रेता व्यापारियों को उनके हितों को आगे बढ़ाने की दृष्टि से सभी विषयों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संगठित करना तथा इसके लिए आचार संहिता तय करना।
3. संस्था द्वारा रासायनिक खाद, बीज, कृषि औषधी विक्रेता व्यापारियों को अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के उद्देश्य से सांख्यकीय तथा अन्य व्यवसायिक जानकारियॉ एकत्र करना तथा व्यवसाय के विस्तार हेतू उनके मध्य शांतिपूर्ण वातावरण व आपसी संयमता बनाए रखना।
4. संस्था द्वारा रासायनिक खाद, बीज, कृषि औषधी विक्रेता व्यापारियों के व्यापार संचालन को सरल एवं सुविधा युक्त बनाने का प्रयास करना तथा उनकी समस्याओं का आपसी सामन्जस एवम वैधानिक तरीके से उनका निराकरण करवाना।
5. संस्था द्वारा रासायनिक खाद, बीज, कृषि औषधी विक्रेता व्यापारियों द्वारा जनजागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों व आम जनता को लाभान्वित करवाना।
6. संस्था द्वारा किसानों को कृषि की पैदावार में वृद्धि हो सके इसके लिए उन्हें नवीनतम शासकीय योजनाओं की जानकारी आधुनिक तरीके से प्रदान करवाना।
7. संस्था द्वारा कृषि फसल बीमा, मृद्रा (मिट्टी) परीक्षण, कृषि भण्डारण, उन्नत बीज के सम्बन्ध में किसानो को जागरूक करना।
8. पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण कार्यक्रम, साफ सफाई, कृषि कार्यशाला सम्बन्धी कार्यक्रम एवम सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का संचालन करना।
9. विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यमों से कृषकों व आम जनता को उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक करना व जैविक उत्पादों के प्रति रूचि पैदा करना।
10. राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (MANAGE), राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य

सोसायटी रजिस्ट्रेशन न. 32229
रजिस्ट्रेशन दिनांक 28.12.12
संशोधन दिनांक 10.01.22
असि. रजिस्ट्रार

असि. रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज भोपाल ASST REGISTRAR OF SOCIETIES BHOPAL

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

Scanned with CamScanner

प्रबंधन संस्थान (NiPHS) जैसे उच्च संस्थानों से साथ मिलकर कृषि शिक्षा का प्रचार प्रसार करना।

4. सोसायटी के कामकाज का प्रबंध सोसायटी के विनियमों द्वारा गर्वनर संचालक परिषद समिति या शासी निकाय को सौंपा गया है, जिनके नाम, पते तथा उपजीविका नीचे विनिर्विष्ट की गई है:-

क्रमांक	नाम	पिता/पति का नाम	पद	पूर्ण पता	व्यवसाय
1.	श्री मानसिंग राजपूत	पिता श्री मूलचंद राजपूत	अध्यक्ष	245, नरेला शंकरी, दुर्गा चौक, भोपाल	व्यवसाय
2.	श्री अनिल अग्रवाल	पिता श्री शंकरलाल अग्रवाल	उपाध्यक्ष	48/ढ, नई एवेन्यू कालोनी, इंग्लिशपुरा, सीहोर	व्यवसाय
3.	श्री संजय रघुवंशी	पिता बाबूलाल रघुवंशी	सचिव	14, महाकाल मार्ग, दौलतगंज, उज्जैन	व्यवसाय
4.	श्री विजय कुमार बंसल	पिता श्री भगवानदास बंसल	कोषाध्यक्ष	1/22, मेन रोड, माधवगंज, विदिशा	व्यवसाय
5.	श्री राजीव पितलिया	पिता डॉ. एस. एल. पितलिया	सदस्य	136, फेस–4, अरिहंत हिल्स, विदिशा	व्यवसाय
6.	श्री एस. सी. बैसखिया	पिता श्री बाबूलाल जैन	सदस्य	नेहा नगर, मकरोनिया, जबलपुर रोड, सागर	व्यवसाय
7.	श्री प्रानीत समैया	पिता श्री प्रवीण [illegible]	सदस्य	83, वार्ड नं. 11, होली [illegible]	व्यवसाय
8.	श्री राजेश मलैया	पिता श्री राजकुमार मलैया	सदस्य	255, तिलकगंज, सागरसिटी, सागर	व्यवसाय
9.	श्री राजेश अग्रवाल	पिता श्री सागरमल अग्रवाल	सदस्य	सी–48, रविशंकर नगर, 5 नं. बस स्टाप, भोपाल	व्यवसाय

पंजीयन के समय [illegible] पत्र में दर्शित पदाधिकारियों की सूची वैधानिक नहीं है।

सोसायटी का रजिस्ट्रेशन नं. 33229
रजिस्ट्रेशन दिनांक 21/12/17
संशोधन दिनांक 10/01/22
जिला रायसेन
असि. रजिस्ट्रार

असि. रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं, भोपाल
ASST. REGISTRAR OF SOCIETIES BHOPAL

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

Scanned with CamScanner

5. समिति के इस ज्ञापन पत्र के साथ समिति के विनियमों की एक प्रमाणित प्रति जैसा कि मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (1973 का 44) की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित है, सलंग्न है। हम अनेक व्यक्ति जिनके नाम और पते लिखे है, समिति का निर्माण उपरोक्त ज्ञापन पत्र के अनुसार करने के इच्छुक है तथा ज्ञापन-पत्र पर निम्नांकित साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये है।

क्रमांक	निर्माणकर्त्ताओं के नाम, पूर्ण पते, पिता/पति का नाम सहित	हस्ताक्षर
1.	श्री मानसिंग राजपूत पिता श्री मूलचंद राजपूत 245, नरेला शंकरी, दुर्गा चौक, भोपाल	सही
2.	श्री अनिल अग्रवाल पिता श्री शंकरलाल अग्रवाल 48/ढ, नई एवेन्यू कालोनी, इंग्लिशपुरा, सीहोर	सही
3.	श्री संजय रघुवंशी पिता बाबूलाल रघुवंशी 14, महाकाल मार्ग, दौलतगंज, उज्जैन	सही
4.	श्री विजय कुमार बंसल पिता श्री भगवानदास बंसल 1/22, मेन रोड, माधवगंज, विदिशा	सही
5.	श्री राजीव पितलिया पिता डॉ. एस. एल. पितलिया 136, फेस–4, अरिहंत हिल्स, विदिशा	सही
6.	श्री एस. सी. बैसखिया पिता श्री बाबूलाल जैन नेहा नगर, मकरोनिया, जबलपुर रोड, सागर	सही
7.	श्री प्रानीत समैया पिता श्री प्रवीण समैया 83, वार्ड नं. 11, होली चौक, सिलवानी, जिला रायसेन	सही
8.	श्री राजेश मलैया पिता श्री राजकुमार मलैया 255, तिलकगंज, सागरसिटी, सागर	सही
9.	श्री राजेश अग्रवाल पिता श्री सागरमल अग्रवाल सी–48, रविशंकर नगर, 5 नं. बस स्टाप, भोपाल	सही

शुल्क रुपये 160 चालान नं./रसीद नं. ......
दिनांक ...... द्वारा प्राप्त हुआ है। यह मूल दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति है
जारी होने की दिनांक ......

...... के हस्ताक्षर

T.C.

साक्षी

हस्ताक्षर :- सही

साक्षी का नाम :- पंकज अग्रवाल

साक्षी का पिता/पति:- श्री पी. सी. अग्रवाल

पूर्ण पता :- डी-8, सोमेश होम्स, अवधपुरी, भेल, भोपाल-462022

सोसायटी रजिस्ट्रेशन नं. 33229
रजिस्ट्रेशन दिनांक 21/12/12
संशोधन दिनांक 10/01/22

असि. रजिस्ट्रार

22.02.22
असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाएं
भोपाल नर्मदापुरम संभाग, भोपाल

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

संशोधित नियमावली

98/4
23-02-2022

1. संस्था का नाम - कृषि आदान विक्रेता संघ भोपाल

2. संस्था का कार्यालय - 4, लीलाधर कालोनी, भानपुर चौराहा, विदिशा रोड, तह.-हुजूर, जिला-भोपाल 462037

Emall Id - kavs.mp@gmall.com, Mob. No. - 9425300227

3. संस्था का कार्यक्षेत्र - सम्पूर्ण मध्यप्रदेश होगा

सोसायटी रजिस्ट्रेशन न. 32229
रजिस्ट्रेशन दिनांक 21/12/12
संशोधन दिनांक 10/01/22

4. संस्था के उद्देश्य निम्नलिखित होगे-

1. संस्था द्वारा रासायनिक खाद, बीज, कृषि औषधी विक्रेता व्यापारियों के सामूहिक हित से सम्बन्धित सभी विषयों पर व्यापारी वर्ग के बीच मित्रता की भावना और एकता को प्रोत्साहित करना।
2. संस्था द्वारा रासायनिक खाद, बीज, कृषि औषधी विक्रेता व्यापारियों को उनके हितों को आगे बढ़ाने की दृष्टि से सभी विषयों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संगठित करना तथा इसके लिए आचार संहिता तय करना।
3. संस्था द्वारा रासायनिक खाद, बीज, कृषि औषधी विक्रेता व्यापारियों को अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के उदे्श्य से सांख्यकीय तथा अन्य व्यवसायिक जानकारियॉ एकत्र करना तथा व्यवसाय के विस्तार हेतू उनके मध्य शांतिपूर्ण वातावरण व आपसी संयमता बनाए रखना।
4. संस्था द्वारा रासायनिक खाद, बीज, कृषि औषधी विक्रेता व्यापारियों के व्यापार संचालन को सरल एवं सुविधा युक्त बनाने का प्रयास करना तथा उनकी समस्याओं का आपसी सामन्जस एवम वैधानिक तरीके से उनका निराकरण करवाना।
5. संस्था द्वारा रासायनिक खाद, बीज, कृषि औषधी विक्रेता व्यापारियों द्वारा जनजागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों व आम जनता को लाभान्वित करवाना।
6. संस्था द्वारा किसानों को कृषि की पैदावार में वृद्धि हो सके इसके लिए उन्हें नवीनतम शासकीय योजनाओं की जानकारी आधुनिक तरीके से प्रदान करवाना।
7. संस्था द्वारा कृषि फसल बीमा, मृद्रा (मिट्टी) परीक्षण, कृषि भण्डारण, उन्नत बीज के सम्बन्ध में किसानो को जागरूक करना।
8. पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण कार्यक्रम, साफ सफाई, कृषि कार्यशाला सम्बन्धी कार्यक्रम एवम सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का संचालन करना।
9. विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यमों से कृषकों व आम जनता को उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक करना व जैविक उत्पादों के प्रति रूचि पैदा करना।

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

Scanned with CamScanner

10. राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (MANAGE), राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान (NIPHS) जैसे उच्च संस्थानों से साथ मिलकर कृषि शिक्षा का प्रचार प्रसार करना।

5. **संस्था के सदस्य निम्नलिखित प्रवर्गो के होंगे-**

(अ) **विशेष आमंत्रित सदस्य-** संस्था की प्रबन्धकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिए जो भी वह उचित समझें विशेष आमंत्रित सदस्य बना सकती हैं ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं परन्तु उनको मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(ब) **सदस्यता शुल्क-** के रूप में इस समिति में प्रत्येक जिला स्तरीय संगठन से प्राथमिक सदस्यता के रूप में रूपये 11000 जमा किये जावेगे। प्रत्येक जिला संगठन अपने जिला स्तर के प्राथमिक सदस्यों की संख्या के हिसाब से 800 रु से प्रति सदस्य प्रदेश संगठन के खाते में सहयोग राशि के रूप में जमा करवायेगे।

6. **सदस्यता की प्राप्ति-** मध्यप्रदेश के सभी 51 जिलो के जिला स्तरीय संगठन ही इसके सदस्य रहेगे तथा भविष्य में शासन द्वारा नवीन जिला बनाये जाने की स्थिति में उसे संस्था की सदस्यता हेतु आवेदन करना होगा जिसे कि प्रबंधकारिणी समिति द्वारा मान्य या अमान्य करने का अधिकार होगा।

7. **सदस्यों या पदाधिकारियों की योग्यता-** संस्था का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक हैः-

(1) आयु 21 वर्ष से कम न हो तथा भारतीय नागरिक हो।

(2) समिति के नियमों तथा उपनियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो।

(3) सद्चरित्र हो।

(4) रासायनिक खाद या बीज या कृषि औषधी विक्रेता या इन तीनों का लायसेंस होकर व्यवसाय करता हो।

8. **सदस्यता की समाप्ति-** संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी-

(1) मृत्यु हो जाने पर।

(2) पागल हो जाने पर

(3) त्याग पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर।

(4) चरित्रिक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निष्कासित किये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगी।

(5) दिवालिया होने की दशा में या कारोबार बंद होने की दशा में।

सोसायटी रजिस्ट्रेशन न. 33221
रजिस्ट्रेशन दिनांक 21/12/12
संशोधन दिनांक 10/10/22
असि. रजिस्ट्रार

9. **संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज किये जावेंगे-**

(1) प्रत्येक सदस्य का नाम, पूर्ण पता तथा व्यवसाय एवं दिनांक सहित हस्ताक्षर

(2) वह तारीख जिसको सदस्यों को प्रवेश दिया गया व रसीद नम्बर।

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

असि. रजिस्ट्रार ASST REGISTRAR OF SOCIETIES BHOPAL

Scanned with CamScanner

(6)

(3) वह तारीख जिसमें सदस्यता समाप्त हुई हो।

10. **(अ) साधारण सभा-** साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी, परंतु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का दिनांक, माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को सूचना दी जावेगी। बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा। संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से तीन माह के भीतर बुलाई जावेगी। उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवित् निर्वाचन किया जावेगा। यदि संबंधित आमसभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत् चुनाव कराया जावेगा।

(ब) प्रबंधकारिणी सभा- प्रबंधकारिणी सभा की बैठक तीन माह में या आवश्यकतानुसार होगी तथा बैठक का एजेण्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी। बैठक का कोरम 1/2 सदस्यों को होगी, यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घण्टे के लिए स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिए कोरम की कोई शर्त न होगी।

(स) विशेष- यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाए विषय पर विचार करने के लिये साधारण सभा की बैठक बुलायी जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति का परामर्श देने का अधिकार होगा।

सोसायटी रजिस्टेशन न. 33229
रजिस्ट्रेशन दिनांक 21/12/17
संशोधन दिनांक 10/01/22
असि. रजिस्ट्रार

11. **साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य-**

(क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।

(ख) संस्था की स्थाई निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना।

(ग) आगामी वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना।

(घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो।

(च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना।

(छ) बजट का अनुमोदन करना।

12. **प्रबन्धकारिणी का गठन-** नियम 5 (अ), (ब) में दर्शाए गए सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा। जिसमें संस्था की प्रबंधकारिणी का गठन होगा। जिसमें निम्न पदाधिकारियों का निर्वाचन सर्वसम्मति अनुसार या बहुमत से किया जावेगा।

(1) अध्यक्ष- 1 (2) उपाध्यक्ष- 1 (3) सचिव- 1 (4) कोषाध्यक्ष- 1 तथा सदस्य- 5

13. **प्रबन्ध समिति का कार्यकाल-** प्रबन्ध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। समिति का यथेष्टा कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

असि. रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं भोपाल ASST. REGISTRAR OF SOCIETIES BHOPAL

Scanned with CamScanner

निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी, किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी, जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।

14. **प्रबन्धकारिणी के अधिकार एवं कर्तव्य-**

(अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।

(ब) पिछले वर्ष का आय व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

(स) समिति एवं उनके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना, संस्था की चल अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।

(द) कर्मचारियों, शिक्षकों तथा विषय विशेषज्ञों आदि की नियुक्ति करना।

(इ) अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय-समय पर सौंपे जाए।

(य) संस्था की समस्त चल अचल सम्पत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी।

(छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर सम्पत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या आंतरित नहीं की जाएगी।

(ज) संस्था द्वारा बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी। साधारण सभा में कुल सदस्यों 2/3 मत से संशोधित पारित होने पर उक्त पारित पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा।

(झ) संस्था की प्रबंधकारिणी को नियम, उपनियम तथा आचार संहिता बनाने का अधिकार होगा।

(त्र) संस्था सदस्यों को संस्था के सभी नियम, उपनियम एक समान मान्य होंगे जिसका पालन सभी सदस्यों को करना होगा।

सोसायटी रजिस्ट्रेशन न....33229
रजिस्ट्रेशन दिनांक.......21/12/12
संशोधन दिनांक.......10/01/22
असि. रजिस्ट्रार

(ट) संस्था जिला स्तर, सम्भाग स्तर, ब्लाक स्तर पर पदाधिकारियो का गठन कर प्रबंधकारिणी का निर्माण नियमानुसार करेगी। जो उस क्षेत्र में इस संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करेगी।

(वी) संघ के सभी पदाधिकारी एवं साधारण सदस्य इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि वह संघ के पक्ष में या उसके विरोध में देश के किसी भी न्यायालय द्वारा कोई भी फैसला आने पर उसे संपूर्ण रूप से मानने के लिए बाध्य होंगे।

15. **अध्यक्ष के अधिकार-** अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबन्धकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा सचिव द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णात्यामक तथा सर्वमान्य होगा।

16. **उपाध्यक्ष के अधिकार-** अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष की आज्ञानुसार अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।

अध्यक्ष **सचिव** **कोषाध्यक्ष**

Scanned with CamScanner

17. **सचिव के अधिकार-**

(क) साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय-समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र और सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना।

(ख) समिति का आय-व्यय का लेखा परीक्षक प्रतिवेदन तैयार कर साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना।

(ग) समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना।

(घ) सचिव को किसी कार्य के लिए एक समय में रूपये 30,000/- तक की राशि मंजूर करने हेतु प्राधिकृत होगा।

18. **कोषाध्यक्ष के अधिकार-** संस्था की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना।

19. **बैंक खाता-** संस्था की समस्त निधियां किसी राष्ट्रीयकृत बैंक, अनुसूचित बैंक में जमा की जावेगी। धन का आहरण केवल अध्यक्ष या सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जावेगा तथा आवश्यकतानुसार व्यय के लिए कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रूपये 30,000/- रहेंगे।

20. **पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी-** अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत समिति की वार्षिक आमसभा होने के 45 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्य कारिणी समिति की सूची प्रस्तुत की जावेगी तथा धारा 28 के अन्तर्गत समिति का परीक्षित लेखा भेजा जावेगा।

21. **संशोधन-** संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा, यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने का अधिकार पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं को होगा, जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा।

सोसायटी रजिस्ट्रेशन नं. ......
रजिस्ट्रेशन दिनांक ......
संशोधन दिनांक ......
असि. रजिस्ट्रार

22. **विघटन-** संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/5 मत से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात् संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जायेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।

23. **सम्पत्ति-** संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की अचल संपत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अन्तरित नहीं की जा सकेगी।

24. **विवाद-** संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिए भेज सकेंगे। रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबन्ध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

T.C.

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

शुल्क रूपय ...... चालान नं./रसीद ......
दिनांक ...... द्वारा जारी किया गया है। यह मूल दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति है।
जारी होने की दिनांक ......

असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाएं
भोपाल नर्मदापुरम संभाग, भोपाल

सहायक के हस्ताक्षर

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

BN 700134

असि. रजिस्ट्रार ऑफ संस्थाएं भोपाल ASST. REGISTRAR OF SOCIETIES BHOPAL

प्रमाण पत्र ज्ञापन / विधान की प्रमाणित प्रति के साथ संलग्न स्टाम्प पेपर संस्था का नाम.................. किसान संघ भोपाल

पंजी क्रं..........33229 ...दिनांक.........21-12-2017

सहायक के हस्ताक्षर

22.02.22

असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाएं
भोपाल नर्मदापुरम संभाग, भोपाल

Scanned with CamScanner

5278 — 100/-
28/01/2022

कृषि आदान विकेत संघ भोपाल
4 लीलाधर कालोनी भानपुर चौराहा विदिशा रोड
भोपाल

नकल हेतु

रजि. फर्म्स एंड संस्थायें भोपाल

I.D.NO : 3123 7048 7929 (E.C. No)
पंकज अग्रवाल की आई.डी.

नरेश कुमार मोहनानी
स्टाम्प वेन्डर
कमिश्नर कार्या.के सामने, पुराना सचि.भोपाल

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

BN 700135

असि. रजिस्ट्रार ऑफ संस्थाएं भोपाल
ASST. REGISTRAR OF SOCIETIES BHOPAL

Cancelled

प्रमाण पत्र ज्ञापन / नियम की प्रमाणित
प्रति के साथ संलग्न स्टाम्प पेपर संस्था
का नाम.....[illegible] विक्रेता संघ भोपाल
पंजी क्रं...............दिनांक.........
33229 21-12-2017

सहायक के हस्ताक्षर

22.02.22

असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाएं
भोपाल नर्मदापुरम संभाग, भोपाल

Scanned with CamScanner

5279 — 100/—
28/01/2022

कृषि आदान विक्रेता संघ भोपाल
4 लीलाधर कालोनी भानपुर चौराहा विदिशा रोड
भोपाल

नकल हेतु

रजि. फर्म्स एंड संस्थायें भोपाल

I.D.NO : 3123 7048 7929 (E.C. No)
पंकज अग्रवाल की आई.डी.

कार्यालय जिला कोषालय
12 JAN 2022
भोपाल

नरेश कुमार मोहनानी
स्टाम्प वेन्डर
कमिश्नर कार्या.के सामने, पुराना सचि.भोपाल

रूप क्रमांक 2

(देखिये नियम 7)

मध्य प्रदेश शासन

समिति का पंजीयन प्रमाण पत्र

क्रमांक **01/01/01/33229/17**

यह प्रमाणित किया जाता है कि **कृषि आदान विक्रेता संघ भोपाल**,समिति जो **4, लीलाधर कालोनी, भानपुर चौराहा, विदिशा रोड, तह.-हुजूर,जिला-भोपाल 462037** तहसील **हुजूर** जिला **भोपाल** में स्थित है, मध्य प्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44) के अधीन **21 दिसम्बर 2017** को पंजीयित की गई है।

Signature valid

Digitally Signed By Mohammed Javed Qureshi (Personal)

Date : 22-Dec-2017 10:19:16 IST

दिनांक 21 दिसम्बर 2017

समितियों के रजिस्ट्रार

Note : This is a Digitally Signed document On 21/12/2017 05:50 PM

Scanned with CamScanner